

फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) गिर्वा, उदयपुर

प्रार्थी :- दुदाराम

विपक्षी :- सरकार

किरम मुकदमा:- विविध

पत्रावली संख्या:-06/2021


दिनांक:- .19.05.2024

प्रार्थी ने अपने अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 9 का प्रस्तुत कर अंकित किया कि उक्त प्रकरण प्रतिवादीगण के जवाब में नियत होकर पेशी दिनांक 11.10.2021 को नियत थी। उस दिन अन्य न्यायालयों में वयस्थता के कारण मैं माननीय न्यायालय में समय पर उपस्थित नहीं हो सका और लंच बाद न्यायालय में आया तो पता चला कि उक्त प्रकरण अदम हाजरी पैरवी में खारीज फरमा दिया गया है। उक्त दिनांक को जवाब पेश होना था एवं प्रार्थी की उपस्थिति की आवश्यकता भी नहीं थी। अतः निवेदन है कि दिनांक 11.10.2021 को अदम हाजरी में खारीज वाद को पुनः नम्बर पर लिया जाने का आदेश प्रदान करें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षी को जरिये समन सूचित किया गया। विपक्षी के जवाब अवसर बंद किए।

प्रार्थी अधिवक्ता की बहस सुनी गई। वादी द्वारा कथन किया गया कि वाद घोषणा के सम्बन्ध में प्रस्तुत किया गया था, जो प्रतिवादी जवाब में नियत होने एवं अधिवक्ता अन्य न्यायालयों में पेशियाँ होने के कारण न्यायालय हाजा में उपस्थित होने में असमर्थ रहे हैं। पत्रावली पर प्रस्तुत उक्त वादपत्र की आदेशिका का अवलोकन कर अध्ययन किया गया। वादी का वाद प्रतिवादी के जवाब हेतु नियत था। वादी का वाद पुनः नम्बर पर लिया जाकर जवाब प्राप्त कर गुणावगुण के आधार पर निर्णय पारित करना विधिसम्मत है।

अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 9 सहपठित धारा 151 जा.दी. का स्वीकार किया जाता है। मूल प्रकरण 38/21 वाद दुदाराम बनाम सरकार में पारित निर्णय दिनांक 11.10.2021 को अपास्त किया जाकर मूल प्रकरण को पुनः दर्ज रजिस्टर किया जाकर नम्बर पर लिये जाने का आदेश दिया जाता है। निर्णय सरेइजलास सुनाया गया। प्रकरण फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम हों।


रमेश सीरवी पुनाड़िया, आर.ए.एस.
सहायक कलक्टर (फा.ट्रे.)
गिर्वा - उदयपुर